

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
 (Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)
 (Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/(32883)/2025/147

दिनांक:- 28/03/2025

:-संशोधन-आदेश:-

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसक-21/2023/163 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा श्रीमती यशोदा दाधिच, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बावडी (जोधपुर) जीएनएम प्रशिक्षणार्थी का निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था।

क्र०सं.	नाम कार्मिका व पद	पदस्थापन स्थान	कॉलेज का नाम	जीएनएम अवकाश अवधि
1	श्रीमती यशोदा दाधिच, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बावडी (जोधपुर)	के०एस० मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग जोधपुर	दिनांक- 31.3.2022 से 30.3.2024 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। दिनांक 31.3.2024 से 15.6.2024 तक 77 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 16.6.2024 से 25.7.2024 तक 43 दिवस का परिवर्तित अवकाश। दिनांक 26.7.2024 से 30.3.2025 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश

कार्मिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पूर्व में स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में निम्नानुसार संशोधित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1	श्रीमती यशोदा दाधिच, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बावडी (जोधपुर)	के०एस० मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग जोधपुर	दिनांक 31.3.2022 से 11.5.2023 तक 407 दिवस का अध्ययन अवकाश। दिनांक 8.11.2023 से दिनांक 25.9.2024 तक 323 दिवस का अध्ययन अवकाश। दिनांक 12.5.2023 से 7.11.2023 तक 180 दिवस का प्रसूति अवकाश। दिनांक 26.7.2024 से 11.12.2024 तक 77 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 12.12.2024 से 20.1.2025 तक 40 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। दिनांक 21.1.2025 से 25.9.2025 तक 248 दिवस का असाधारण अवकाश
---	---	---	---	--

नोट-आईएनसी की गाईडलाईन अनुसार उक्त कार्मिका द्वारा 180 दिवस का प्रसूति अवकाश का उपभोग किये जाने के फलस्वरूप कार्मिका को जीएनएम प्रशिक्षण अवधि में 180 दिवस की अभिवृद्धि होगी।

निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज० जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/(32883)/2025/147

दिनांक:- 28/03/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बावडी (जोधपुर)
4. प्रशासनिक अधिकारी, (प्रशिक्षण) अनुभाग, मुख्यालय।
5. संबधित कार्मिका को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :28-03-2025 04:25:50